

राजस्थान—सरकार
शिक्षा (गुप-5) विभाग

—

क्रमांक:— प.8(11)शिक्षा-5 / 2023(Rajkaj-14336) पार्ट 2 दिनांक :यथाहस्ताक्षर

आदेश

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016 एवं नियम 2017 के तहत 2017-18 से विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त अवैधानिक फीस लौटाने के संबंध में स्टूडेंट पेरेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 21.06.2023 का निस्तारण खण्डीय फीस विनियामक समिति जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2023 के द्वारा करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी:—

“भारतीय विद्या भवन, विद्या आश्रम, स्कूल, के एम मुन्शी मार्ग जयपुर का जरिए विद्यालय प्रशासन आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 2017-18 आज दिनांक तक (जिनसे अतिरिक्त फीस ली गई है) को आगामी माह में अतिरिक्त ली गई फीस का समायोजन किया जाये।

जो विद्यार्थी विद्यालय से टी.सी. प्राप्त कर जा चुके हैं, ऐसे छात्रों की अतिरिक्त ली गई फीस भी आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में लौटाई जाये।”

इस आदेश से व्यथित होकर भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल, जयपुर द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016 की धारा 6(7) के अन्तर्गत पुनरीक्षण समिति के समक्ष एक अपील दिनांक 20.12.2023 प्रस्तुत की।

इस अपील में भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल ने मुख्य आपत्ति उठाई कि खण्डीय फीस विनियामक समिति के समक्ष संस्था द्वारा समस्त तथ्य मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे किन्तु खण्डीय फीस विनियामक समिति ने उन पर गौर नहीं किया। खण्डीय फीस विनियामक समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अंतर सिंह नेहरा द्वारा सुनवाई की गई किन्तु आदेश दिनांक 23.11.2023 श्रीमती आरूषि मलिक ने बिना एक भी सुनवाई के जारी किया। अपील में उक्त आदेश दिनांक 23.11.2023 को अपास्त किया जाने का अनुरोध किया।

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016 की धारा 10 में पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया है जिसमें निजी विद्यालय के दो प्रतिनिधि एवं माता-पिता के दो प्रतिनिधि का नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा उक्त नाम निर्देशन किये जाने पर पुनरीक्षण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2025 को आहूत की गई।

उक्त बैठक में समिति के समक्ष उपस्थित भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल से श्री आर सी जैन ने कहा कि खण्डीय फीस विनियामक समिति के द्वारा पारित आदेश 23-11-2023 में उनको अर्थात् भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल प्रबन्धन को बिना सुनवाई के मौका दिए बगैर पारित कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त, निदेशक जयपुर के कार्यालय के पत्र पर संभागीय आयुक्त के हस्ताक्षर थे। उन्होंने इसके ही विरोध में अपील की है।

उसके प्रत्युत्तर में स्टूडेंट पैरेंट्स एसोसिएशन की ओर से श्री संदीप कुमार ने बिन्दुवार आदेश की समीक्षा करते हुए कहा कि खण्डीय फीस विनियामक समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 दोनों पक्षों को विधिवत सुनकर ही जारी किया गया है, साथ ही उन्होंने भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल के द्वारा एक्ट की अनुपालना नहीं करने, कोविड के दौरान पाठ्येतर गतिविधियाँ, कोरोना काल में पढ़ाई के नाम पर पैसा लेने, आधार वर्ष 2017-18 के स्थान पर 2018-19 करने व मनमानी फीस वसूलने का पूर्ण ब्यौरा अध्यक्ष महोदय के सामने रखा।

पुनरीक्षण समिति के सदस्यों ने संस्था की अपील एवं स्टूडेंट पैरेंट्स एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार विमर्श किया जिससे यह प्रकट हुआ कि यह आदेश विद्यालय प्रबंधन समिति को सुनने का मौका दिए बगैर पारित किया गया है तो प्राकृतिक न्याय के कानून के तहत उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए इस पर सभी समिति सदस्यों ने भी सहमति जताई।

अतः यह मामला खण्डीय फीस विनियामक समिति को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम 2 महीने में इसका निस्तारण करे। खण्डीय फीस विनियामक समिति द्वारा उक्तानुसार कोई अन्तिम निर्णय लिये जाने तक दोनों पक्ष आज की स्थिति बनाये रखेंगे।

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव
एवं अध्यक्ष
पुनरीक्षण समिति

क्रमांक:- प.8(11)शिक्षा-5/2023(Rajkaj-14336) पार्ट 2

दिनांक :यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, पदेन अध्यक्ष, खण्डीय फीस विनियामक समिति, जयपुर।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग।
8. संयुक्त निदेशक, जयपुर संभाग, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
10. श्री आर सी जैन, सचिव, भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम, के एम मुंशी मार्ग, जयपुर।
11. स्टूडेंट्स पैरेंट्स एसोसिएशन, 27, शांति पथ, तिलक नगर, जवाहर नगर,
जयपुर-302004।

शासन सचिव
एवं अध्यक्ष
पुनरीक्षण समिति

Signature Not Verified
Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation : Secretary To
Government
Date :25-06-2025 11:37:31